न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला [illegible] (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 9 / 2025

तारीख दायर—28 / 05 / 2025

तारीख निर्णय—27.02.2026

1. श्री गणेश लाल पिता हींगा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

........वादी

बनाम

1 श्री काना पिता केशा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री गलीया पिता केशा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती दोलकी पत्नी पीथा मीणा निवासी घाटीघर लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्रीमती जमनी पत्नी पीथा मीणा निवासी घाटीघर लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती नारायणी पिता पीथा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर हाल मुकाम नारायणी पत्नी लखमीचन्द निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती रोडकी पिता पीथा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर हाल मुकाम श्रीमती रोडकी पत्नी पीथा निवासी देवलीया लानाफला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर।

............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कण्डेला पटवार मण्डल टटाकीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 47 व पुराना 42 में वर्णित आराजी नम्बर 278 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 50 रकबा 0.8856 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 52 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.9440 हैक्टेयर, भूमि स्थित है।

उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी

स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिकी पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीं का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती करने एवं एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीं एवं प्रतिवादीगणों वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा कण्डेला पटवार मण्डल टटाकीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 47 व पुराना 42 में वर्णित आराजी नम्बर 278 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 50 रकबा 0.8856 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 52 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.9440 हैक्टेयर,भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला [illegible] (राज.)

वाद डिक्री

श्री गणेश लाल पिता हींगा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

........वादी

बनाम

1. श्री काना पिता केशा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री गलीया पिता केशा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती दोलकी पत्नी पीथा मीणा निवासी घाटीघर लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्रीमती जमनी पत्नी पीथा मीणा निवासी घाटीघर लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती नारायणी पिता पीथा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर हाल मुकाम नारायणी पत्नी लखमीचन्द निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती रोडकी पिता पीथा मीणा निवासी कण्डेला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर हाल मुकाम श्रीमती रोडकी पत्नी पीथा निवासी देवलीया लानाफला तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

डिक्री

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026. को प्रस्तुत होने पर ादीगणों का वाद वहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा कण्डेला पटवार मण्डल टटाकीया हसील लसाडिया के खाता संख्या नया 47 व पुराना 42 में वर्णित आराजी नम्बर 278 रकबा .5400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 50 रकबा 0.8856 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 52 रकबा 0.3780 ैक्टेयर, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.9440 हैक्टेयर, ूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर ाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की दोनो पक्षकारो के मध्य वाईमिट्स एण्ड वाउड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)